राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/06/2011–12/38 दिनांक : 9/6/11

कार्यालय आदेश

यह ध्यान में आया है कि विभिन्न वृत एवं खण्ड कार्यालयों के अधीन कार्यरत राशि संग्रहण केन्द्रों पर चैक द्वारा राशियां स्वीकार नहीं की जा रही है जो कि राशि जमा करने बाबत पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक वसूली/91/1188 दिनांक 10.04.1991 (वसूली निर्देशिका पृष्ठ सं. 16), क्रमांक 97 दि. 17.12.91 (वसूली निर्देशिका पृष्ठ सं. 18), परिपत्र क्रमांक वसूली/2003/274 दि. 6.08.2003 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक व.ले.अ. (वसूली)/2/ 95–96/189 दि. 15.11.95 का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस सम्बन्ध में पुनः आदेश दिये जाते है कि स्थानीय चैक द्वारा जमा राशियां स्वीकार की जावें एवं कच्ची रसीद जारी की जावें तथा बैंक से चैक समाशोधित का सत्यापन हो जाने पर उसकी विधिवत रसीद जारी की जावें तत्पश्चात् उसे डे–बुक में इन्द्राज किया जावे। प्रत्येक राशि संग्रहण केन्द पर चैक पंजिका संधारित की जावें। चैक अनादरित होने की स्थिति में तुरन्त सम्बन्धित जमा कर्ता को पत्र द्वारा चैक लौटाते हुए देय राशि शीघ्र डी. डी. अथवा नकद (अधिकतम राशि 12500/–) जमा करने के लिए कहां जावे।

मण्डल के समस्त राशि संग्रहण केन्द्रों पर इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जाय।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

क्रमांक : वसूली/06/2011–12/38 दिनांक : 9/6/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, P&M, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरि. लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुर्थ, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत .... रा. आ. म. ....
8. आवासीय अभियन्ता, राज.आवा. म. ....
9. जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. म., जयपुर ।
10. लेखाधिकारी वसूली वृत .... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. समस्त राशि संग्रहण केन्द्र सं. .... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार